

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं

नाम: पीठासीन अधिकारी:- श्री रामसिंह राजावत (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या:- 86/2019

जी सी एम एस न. 2019/00203

दर्ज दिनांक 11.04.2019

निर्णय दिनांक 02.02.2022

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं

प्रार्थी

बनाम

1. गणपत पुत्र लादू जाति माली निवासी जगदीशपुरा
2. राजस्थान ग्रामीण बैंक मणकसास।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 177 रा0का0अधि0 1955

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार उदयपुरवाटी ने प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 177 रा0का0अधि0 1955 का मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम जगदीशपुरा पटवार हल्का पापड़ा कलां में वर्तमान भूमि ख0न0 138 रकबा 0.13 है0, किस्म चाही A स्थित है जो अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त खातेदार द्वारा ग्राम जगदीशपुरा पटवार हल्का पापड़ा कलां में वर्तमान भूमि ख0न0 138 रकबा 0.13 है0, किस्म चाही A में अप्रार्थी द्वारा बजरी खनन किया जा रहा जो बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति एवं स्वीकृति से किया जा रहा है। उक्त भूमि कृषि कार्यों के लिए राज्य सरकार द्वारा अप्रार्थी को दी गई थी। राज्य सरकार एवं अप्रार्थी के मध्य उक्त भूमि को कृषि प्रयोजनो हेतु उपयोग लेने की प्रयुक्त संविदा(applied contract) को खातेदारो ने भंग कर उक्त भूमि का गैर कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लेकर कृषि भूमि को नुकसान कारित किया है। ग्राम जगदीशपुरा पटवार हल्का पापड़ा कलां में वर्तमान भूमि ख0न0 138 रकबा 0.13 है0, किस्म चाही A से अप्रार्थी को बेदखल किया जाकर उक्त भूमि को सिवायचक (राजकीय भूमि) दर्ज करने के आदेश प्रदान करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलबी वास्ते जवाबदेही की गई। अप्रार्थीगण न0 1 लगायत 2 बावजूद तामिल हाजीर नहीं अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

बहस प्रार्थना पत्र पर श्रवण की गई। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी ने ग्राम जगदीशपुरा पटवार हल्का पापड़ा कलां में वर्तमान भूमि ख0न0 138 रकबा 0.13 है0, किस्म चाही A में अप्रार्थी द्वारा अवैध बजरी खनन किया जा रहा है। कृषि कार्य की बजाय अकृषि कार्य किया जा रहा है उक्त कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग कर कृषि भूमि को नुकसान कारित किया है। अन्त में निवेदन किया कि अप्रार्थीगण को बेदखल किया जाकर उक्त भूमि को सिवायचक (राजकीय भूमि) दर्ज करने के आदेश प्रदान करे।


पत्रावली पर ध्यानपूर्वक अलोकन किया गया तथा तहसीलदार उदयपुरवाटी से मौका रिपोर्ट तलब कि गई। रिपोर्ट के अनुसार भूमि खसरा न0 138 रकबा, 0.13 है0, किस्म चाही A खातेदार गणपतराम पुत्र लादू कौम माली सा0 देह के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त खसरा न0 से खातेदार द्वारा अवैध बजरी खनन कर अकृषि कार्य किया जा रहा है। जिससे भूमि कृषि योग्य नहीं रही है। अप्रार्थी ने उक्त भूमि का गैर कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लेकर कृषि भूमि को नुकसान कारित किया है व राज्य सरकार व अप्रार्थी के मध्य उक्त भूमि को कृषि प्रयोजनो हेतु उपयोग लेने की प्रयुक्त संविदा को खातेदार ने भंग किया है। वर्तमान में उक्त भूमि कृषि योग्य नहीं रह जाने के कारण उक्त भूमि से अप्रार्थीगण को बेदखल किया जाना तथा उनकी खातेदारी समाप्त की जाकर भूमि को सिवायचक (राजकीय भूमि) घोषित किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतीत होता है।

24




आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 177 रा0का0अधि0 1955 का स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम जगदीशपुरा पटवार हल्का पापड़ा कलां में वर्तमान भूमि ख0न0 138 रकबा 0.13 है0, किस्म चाही A भूमि से अप्रार्थी की खातेदारी समाप्त कर भूमि को सिवायचक (राजकीय भूमि) घोषित किया जाता है। तहसीलदार उदयपुरवाटी उक्त वर्णित भूमि में से अप्रार्थीगण को बेदखल कर कब्जा राज लेवे तथा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।



(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक 02.02.2022 को मेरे द्वारा अलग से टंकित करवाया जाकर में सुनाया गया।



(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी